

## Member of Parliament Local Area Development Scheme

भारत सरकार  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001  
FAX : 23364197  
E-mail : mplads@nic.in



भारत सरकार  
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय  
सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली - 110001  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME IMPLEMENTATION  
SARDAR PATEL BHAVAN, NEW DELHI-110001  
FAX : 23364197  
E-mail : mplads@nic.in

सं. एल-33/010/2009-एमपीलैड्स (खण्ड)

Dated 07 जून, 2013

सेवा में,

1. आयुक्त,  
कोलकाता/चेन्नई/दिल्ली नगर निगम
2. सभी जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त

विषय: आईडीबीआई बैंक में एमपीलैड्स निधि रखने की स्वीकृति

महोदय,

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 को निम्नानुसार संशोधित करने का निर्णय लिया गया है :-

5.1 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण एमपीलैड्स निधि के लिए संसद सदस्य-वार लेखा रखेंगे। लेखा बही तथा खातों की अन्य बहियों का रखरखाव राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। भारत सरकार से जिला प्राधिकारियों को प्राप्त तथा जिला प्राधिकारी से कार्यान्वयन अभिकरणों को प्राप्त एमपीलैड्स निधि को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खातों में रखा जाएगा। आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समतुल्य माना जाएगा। बैंक शाखा का चयन इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के दिशानिर्देश, यदि कोई हैं, के अनुसार जिला प्राधिकारी द्वारा अथवा (यदि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं) प्रशासनिक अपेक्षा/व्यवहार्यता के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य के लिए केवल एक खाता रखा जाएगा। जिला प्राधिकारी तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एमपीलैड्स निधि को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सरकारी कोष खातों में जमा कराना निषिद्ध है।

3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,  
डी. साईबाबा  
3/6/13

निदेशक (एमपीलैड्स)

प्रतिलिपि सूचनार्थः

1. सभी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)।
2. एमपीलैड्स से संबंधित नोडल विभागों के सचिव (सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र)।
3. एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति, राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
4. एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली।
5. एमपीलैड्स प्रभाग में सभी संबंधित अधिकारी।
6. एनआईसी को इस अनुरोध के साथ कि इसे एमपीलैड्स वेबसाइट पर अपलोड करें।